29.2 2024:—आज पत्रावली पेशी मे लिगई। प्रार्थी वकील उपस्थित। मुल वाद–पत्र खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना–पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.06 17:08:42 IST
Reason: SelfAttested